

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 0612-2223727  
फैक्स नं०-0612-2224529

(द्विबीड पद्धति)

ई०-निविदा सूचना संख्या- 12/2023-24

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 02-06-2023
- 3 निविदा डाउनलोड करने की तिथि : दिनांक- 11-07-2023 से 19-07-2023 तक।
- 4 निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 21-07-2023 को 17:00 बजे तक।
- 5 (क) तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 24-07-2023 को 16:00 बजे।  
(ख) वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात्।  
(ग) परिमाण-विपत्र का मूल्य, विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान : कडिका- 42 के अनुसार
- 6 प्री बीड मिटिंग की तिथि,समय एवं स्थान : दिनांक- 13-07-2023 को 15:00 बजे।  
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
- 7 निविदा पत्र बिक्री का स्थान : [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर।
- 8 निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :- :

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य० अभि०, बि०पु०भ० नि०, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	निविदा कागजात का मूल्य (रू० में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रू० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध प्रमण्डल डेहरी ऑन सोन	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
2.	नवादा जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर प्रमण्डल	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
3.	शेखपुरा जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर प्रमण्डल	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
4.	लखीसराय जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर प्रमण्डल	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
5.	जहानाबाद जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना प्रमण्डल	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
6.	अरवल जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना प्रमण्डल	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, along with the text "कृ०पु०उ० 2...../".



7.	बक्सर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना प्रमण्डल	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
8.	भोजपुर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना प्रमण्डल	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
9.	कैमूर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध प्रमण्डल डेहरी ऑन सोन	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
10.	वैशाली जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
11.	बगहा जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
12.	मोतिहारी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
13.	सिवान जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
14.	गोपालगंज जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
15.	शिवहर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
16.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
17.	मधुबनी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
18.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
19.	खगड़िया जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



20.	सुपौल जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
21.	मधेपुरा जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
22.	किशनगंज जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
23.	कटिहार जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
24.	अररिया जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
25.	बांका जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
26.	नवगछिया जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
27.	जमुई जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में जिला चलन्त विधि विज्ञान इकाई (DFMU) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर	48.20	96400	5000	As per eproc 2	9 माह
28.	पटना जिलान्तर्गत बि०वि०स०पु०-16 पटना, बैरक सं०-ई०-01, ई०-02, ई०-03, ई०-04, ई०-05, ई०-06, ई०-07, ई०-08, ई०-09, ई०-10 में खपड़ा पलटी का विद्युतिकरण सहित एवं रंग-रोगन एवं मरम्मत कार्य।	पटना प्रमण्डल पटना	47.29	94600	5000	As per eproc 2	5 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :- सक्षम प्राधिकार
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु कार्य का आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. विद्युतीकरण सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांटेक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।

*[Handwritten signatures and marks]*




13. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित रहेंगे, जिन पर किसी कारणवश पूर्व से आवंटित योजना का कार्य लंबित चल रहा है या जो आवंटित कार्य एकरारनामा नहीं किये हैं, या फिर शुरू नहीं किये हैं। राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची एवं डिबार किये गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. प्राक्कलन की राशि घट/बढ़ सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र एवं अग्रधन की राशि संशोधित होगी। निविदा प्रपत्र में **Uploded** परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। निविदा संबंधी जानकारी Help Desk के Toll Free No. 18005726571 या E-mail ID [eproc2support@bihar.gov.in](mailto:eproc2support@bihar.gov.in) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन करना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender preview में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. ई-निविदा के **Excal format** को पूर्ण रूप से भरा जाना अनिवार्य है। निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. क्रमांक-7 में अंकित Bid-Processing charge+service tax का भुगतान संवेदक internet payment gate way (credit/Debit cards) अथवा internet banking अथवा NEFT/RTGS CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid Processing Fee Account में Credit करेंगे।
20. निविदा कागजात का मूल्य की राशि का भुगतान संवेदकों को eproc2 portal पर Online mode में जमा करना अनिवार्य है। जो संवेदक को वापस नहीं किया जायेगा। किये गये भुगतान से संबंधित कागजात की Scanned copy साक्ष्य के तौर पर निविदा कागजातों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
21. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि (EMD) केवल BG (Bank Guarantee) or internet payment gate way अथवा internet banking को ही स्वीकार किया जाएगा। जिसका Verification Online किया जाएगा। अग्रधन की राशि (EMD) संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित होना अनिवार्य है।
22. निविदा द्वि-वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं संबंधित नियम एवं शर्तें लागू रहेगी।
23. कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एक्ट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगा। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ स्थगित/निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. मूल निर्माण कार्य के लिए डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड 3 (तीन) वर्ष एवं मरम्मत कार्य के लिए 1 (एक) वर्ष का होगा। यह तिथि Successful handing over of Project date से लिया जा सकेगा।
28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fees) एवं स्वामित्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्आलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच राष्ट्रीय परीक्षण और असंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) / अभियंत्रण संस्थान/ सरकारी प्रयोगशाला से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है। जाँचफल प्रतिवेदन, संबंधित कार्य प्रमण्डल में समर्पित करने के पश्चात् ही, किये गये कार्य का भुगतान होगा।
32. सभी महत्वपूर्ण कागजात (i) परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति (ii) अग्रधन की राशि (iii) आयकर पैन नं०, (iv) GST निबंधन (v) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र (vi) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 2033 (E) दिनांक 11.04.2022 प्रभावी होगा, तथा (vii) कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association एवं Partnership firm/ LLP में Partnership Deed, निविदा के साथ उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण- पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। सिर्फ अपलोड किये गये कागजातों पर विचार किया जायेगा। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
- नोट:- एकरारनामा के समय भी जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र, कार्यवटी संवेदक / फर्म (कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी निदेशकों का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) एवं योजना क्रियान्वयन में संबद्ध सभी तकनीकी तथा अन्य कर्मियों का अभिप्रमाणित छायाप्रति पुनः समर्पित करना अनिवार्य होगा।
33. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साईट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। परियोजना का विस्तृत प्राक्कलित लागत राशि गणना मात्र है, और तकनीकी विशिष्टियों एवं मानक गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने के क्रम में क्वैरी परिवर्तन (Lead chart) के अनुसार कोई दावा मान्य नहीं होगा।
34. निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्षों का Financial Turnover (In all classes of civil construction work) Balance Sheet, Profit & Loss Statement एवं Tax Audits Report समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही 1 जुलाई 2019 के बाद चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के स्तर से निर्गत सभी रिपोर्ट/ सर्टिफिकेट पर UDIN अनिवार्य होगा।
35. निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।
36. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 9941/2022 दिनांक- 21-12-2022 के द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- प्र०-7/मुक०-02-25/2022-7635 (अनु०), पटना, दिनांक- 23-12-2022 को निर्गत आदेश के द्वारा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 447 (S) दिनांक- 16-01-2020 सह पठित ज्ञापांक- 448(S) दिनांक- 16-01-2020 को अगले आदेश तक Stay (स्थगित) किया गया है। तद्आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 2046 (S) दिनांक- 06-03-2014 के अनुसार प्रतिशत दर (Inpercentage rate tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली आगामी सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा 10 प्रतिशत होगी और 10 प्रतिशत से अधिक कम दर उद्धृत निविदाएँ अमान्य की जाएगी। निविदाकारों द्वारा Serious Unbalanced कम दर उद्धृत करने की स्थिति में पूर्ववत् Additional performance guarantee एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।
37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।





38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी ।
39. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्ननिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंचल पटना या मुख्य अभियंता बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।
41. **संवेदक द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है-**  
(क) मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम संस्था का नाम	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	अद्यतन स्थिति	अगर एकरारनामा की अवधि के बाद कार्य लम्बित है तो क्यों
1	2	3	4	5	6

- (ख) उपर्युक्त स्तम्भ 2 में वर्णित कोई भी कार्य अकारण अर्थात् मेरे / हमारे कारण लम्बित नहीं है मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय /थाना में विचाराधीन नहीं है।
- (ग) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मेरे द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता से संबंधित कोई आरोप नहीं है।
- (घ) मेरा/हमारा कोई निकट संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (च) उपरोक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने, अथवा कंडिका 'ङ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली या जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

42. ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
43. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ज्ञापांक- एच०क्यू-  
प्रतिलिपि-

1882

पटना, दिनांक-

2/6/23

कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

मुख्य अभियंता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।



ज्ञापांक- एच0क्यू- 1882 पटना, दिनांक- 21/6/23  
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।  
मुख्य अभियन्ता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 1882 पटना, दिनांक- 21/6/23  
प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियन्ता, प्रमंडल- मोनितरिंग/विद्युत/सहायक प्रावधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।  
मुख्य अभियन्ता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 1882 पटना, दिनांक- 21/6/23  
प्रतिलिपि- पुलिस औरंगाबाद/ नवादा/ शेखपुरा/ लखीसराय/ जहानाबाद/ अरवल/ बक्सर/ भोजपुर/ कैमूर/ वैशाली/ बगहा/ मोतिहारी/ सिवान/ गोपालगंज/ शिवहर/ सीतामढ़ी/ मधुबनी/ समस्तीपुर/ खगड़िया/ सुपौल/ मधेपुरा/ किशनगंज/ कटिहार/ अररिया/ बांका/ नवगछिया/ जमुई एवं पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।  
अधीक्षक,  
मुख्य अभियन्ता,  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller one on the right.